न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 167/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

टेकन महतो वगै0 ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

बुन्दो महतो वगै0 ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

20-12-24

थाना प्रभारी, ओ0पी0 भरकट्ठा के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवादित भूमि पर दिनांक 22.10.2024 को भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत् निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा- गुरहा, थाना- ओ0पी0भरकट्ठा, जिला- गिरिडीह
खाता नं0- 103, प्लॉट नं0- 1556, रकबा- 16 डी0
चौहद्दी : -

उ0- फुलचन्द महतो का मकान,
द0- घनश्याम महतो का पॉल्ट्री फॉर्म,
पू0- झरी महतो वगैरह,
प0- निज प्रथम पक्ष

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि की जमाबंदी जोधो महतो एवं उदो महतो के नाम से अंचल कार्यालय के पंजी-II के पृष्ठ सं0- 190 तथा भाग संख्या- 04 पर कायम है। द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त जमीन पर जबरण नीव खोदकर कब्जा करने के प्रयास के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक Online पंजी-II की प्रति, दो ऑफलाईन लगान रसीद की प्रति, एक ऑफलाइन रजिस्टर- II की छायाप्रति, एक सादा हुकुमनामा की छायाप्रति प्रस्तुत करते है। प्रथम पक्ष पुन: एक कारण पृच्छा प्रस्तुत कर बतलाते हैं कि द्वितीय पक्ष खाता नं0- 103 प्लॉट नं0- 1556

रकबा- 26 डी0 भूमि हुकुमनामा के आधार पर हासिल करने का दावा करते है लेकिन किसी तरह का ऑनलाइन जमाबंदी दर्ज नही है। प्रथम पक्ष आगे कहते है कि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण विवादित स्थल पर बॉउन्ड्रीवाल धवस्त कर झोपड़ीनुमा मकान बना लिए है जिसे लेकर उभय पक्ष के मध्य दखल कब्जा को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि गिरधारी महतो वल्द टेको महतो को हुकुमनामा बन्दोबस्ती के द्वारा उक्त भूमि प्राप्त हुआ है। गिरधारी महतो ने बन्दोबस्ती प्राप्त कर उक्त जमीन पर अपना दखल कब्जा पाया तथा पूर्व जमींदार को लगान भुगतान कर जमींदारी लगान रसीद प्राप्त करते रहे। जमींदारी प्रथा खत्म होने के उपरान्त उनकी जमाबन्दी अंचल कार्यालय के पंजी-II में कायम हुई। गिरधारी महतो ने उक्त भूमि पर एक खपड़ैल मकान भी बनाया तथा अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रहने लगे। प्रथम पक्ष के लोगों ने जबरन उक्त घर का हिस्सा तथा चहारदीवारी धंसा दिया जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। द्वितीय पक्ष आगे बतलाते है कि उक्त विवाद को लेकर अंचल अधिकारी बिरनी के समक्ष विविध वाद 03/2024-25 चल चुका है जिसके निर्णय में अंचल अधिकारी बिरनी ने भी पाया है कि भूमि पर द्वितीय पक्ष का ही वास्तविक दखल कब्जा है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त राजस्व उप निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति, विविध वाद 03/2024-25 की छायाप्रति, प्राथमिकी की छायाप्रति, एक ऑफलाइन रजिस्ट- II की छायाप्रति, एक सादा हुकुमनामा की छायाप्रति, चार लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल करते हैं।

साथ ही भरकट्टा ओ0पी0 प्रभारी का जाँच प्रतिवेदन भी प्राप्त है विविध वाद संख्या- 03/2024-25 में राजस्व उप निरीक्षक बिरनी के द्वारा अंचल अधिकारी बिरनी को प्रेषित जाँच प्रतिवेदन का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उक्त भूमि का ऑफलाइन जमाबन्दी पंजी- II के भाग सं0-I और पृष्ठ सं0- 82 पर गिरधारी महतो पिता टेको महतो के नाम से कायम है उक्त विवाद का निपटारा हेतु गांव में पंचायत भी हुआ था तथा भूमि का आधा-आधा हिस्सस किया गया था। जिस पर दोनों पक्ष कायम है। स्थलीय जाँच पर ग्रामीणों ने बतलाया कि वर्षो से उक्त विवादग्रस्त भूमि द्वितीय पक्ष (बुन्दो महतो वगैरह) के कब्जे में है तथा वे दखलकार हैं। प्लॉट overlapping की बात सामने आने पर अंचल अमीन के द्वारा चौहद्दी मिलान / जाँच प्रतिवेदन दिया गया। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार भी द्वितीय पक्ष (बुन्दो महतो वगैरह) का दखल कब्जा पाया गया।

अंचल अधिकारी बिरनी ने भी विविध वाद 03/2024-25 के निर्णय में वर्त्तमान वाद के द्वितीय पक्ष (बुन्दो महतो वगैरह) के दखल कब्जे की संपुष्टि की है तथा प्रथम पक्ष के दखल कब्जे को अस्वीकृत किया है। अंचल अधिकारी ने प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत हुकुमनामा की चौहद्दी को भी वर्तमान

विवादग्रस्त प्लॉट से मेल नहीं खाने की पुष्टि की है।

थाना प्रभारी ओ0पी0 भरकट्टा के जाँच प्रतिवेदन में भी द्वितीय पक्ष के दखल कब्जा की पुष्टि हुई है।

उपरोक्त प्रतिवेदित तथ्यों के आलोक में विवादग्रस्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दावा अधिक मजबुत तथा सही प्रतीत होता है।

अत: नियमन को द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त (vacate) तथा प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष (absolute) घोषित किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

20/12/24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

20/12/24.

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.02.19 16:38:37 +05:30
Location: 192.168.1.10